

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

कृष्णा देवी वगै० बनाम राजस्थान सरकार वगै०

किस्म मुकदमा धारा प्रार्थना पत्र 212

मुकदमा न० 67/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.2023	<p>वकील प्रार्थी की अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का मामला बनता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि मौजा ग्राम काजड़ा तहसील सूरजगढ़ के ख०न० 122 रकबा 1.00है०, ख०न० 557/122 रकबा 0.02है०, ख०न० 558/122 रकबा 0.02है०, ख०न० 559/122 रकबा 1.00है०, ख०न० 560/122 रकबा 1.01है०, ख०न० 181 रकबा 0.51है० में मौका की दावा के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। C</p> <p style="text-align: right;">रूपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़</p>	